# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 30/19

**पीठासीन अधिकारी – दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)**

दायरा दिनांक 27.08.2019

भागवती पत्नि कोमलप्रसाद जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–वादी

बनाम

1. देवलाल पुत्र नन्दलाल जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2. रामू पुत्र नन्दलाल जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

–फौत

2/1. कंचनलाल पुत्र रामू जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2/2. हरिओम पुत्र रामू जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2/3. भभूती पुत्री रामू जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
2/4. चन्दनिया पत्नि रामू जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

3. बाबू पुत्र प्रभू जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
4. रामचरण पुत्र प्रभूलाल जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
5. जावेदखान पुत्र बावू जाति मुसलमान निवासी समरानियां तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज.

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**निर्णय दिनांक– 12.02.2020**

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (वादी)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादीगण)

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नोनपुरा पटवार हल्का अजरोंडा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 10.12 बीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीकम 1, 2/1 ता 2/4 व 3 के नाम हिस्सा 1/2 से तथा प्रतिवादीकम 4 व 5 के नाम हिस्सा 1/2 से खाते दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीकम 1 देवलाल प्रतिवादीकम 2 रामू (प्रतिवादी 2/1 लगायत 2/4 के पिता/पति) तथा प्रतिवादीकम 3 बाबू का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 निहित होकर दर्ज रहा है, जिनमें से प्रतिवादीकम 1 देवलाल तथा प्रतिवादीकम 2 रामू ने अपने हिस्सा कमशः 1/6–1/6 कुल हिस्सा 1/3 को वादीनी के हक में विकय कर दिनांक 04/06/2015 को विकयपत्र पंजीयन करा कब्जा संभला दिया है, इस पंजीकृत विकय के आधार पर वादीकम 1 व 2 के स्थान पर वादीनी का नाम रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था, इस हेतु रजिस्ट्रेशन नियमानुसार विकयपत्र की प्रति उप पंजीयक द्वारा नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु भेजी जाती है, इसके बावजूद भी आज तक उक्त विकयपत्र की पालना में कयशुदा हिस्सा आराजी वादीनी के नाम दर्ज नहीं की गई है। दिनांक 29/07/19 को केसीसी बनवाने हेतु हल्का पटवारी से खाते की नकल प्राप्त करने पर वादीनी को ज्ञात हुआ है कि विकयपत्र के आधार पर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इसी बीच प्रतिवादीकम 1 व 2 के द्वारा वादीनी के हक में विवादित हिस्सा आराजी के रजिस्टर्ड विकय किये जाने के पश्चात, प्रतिवादीकम 2 रामू की मृत्यु हो गई है, जिनके स्थान पर फौती नामान्तरण नम्बर 593 के जरिये उनके वारिसान प्रतिवादीकम 2/1 लगायत 2/4 का नाम दर्ज कर दिया गया है। उसी दिन वादीनी ने प्रतिवादीकम 1 तथा 2/1 लगायत 2/4 से विकयपत्र की पालना में वादीनी का नाम दर्ज कराने को कहा तो उन्होने साफ इनकार कर दिया, तब वादीनी ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 29/07/19 को ही नायब

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार केलवाडा के समक्ष पेश किया, जिस पर नायब तहसीलदार केलवाडा ने वादीनी को श्रीमान न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देकर अमल करने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार वादीनी ने विवादित आराजी में से प्रतिवादीकम 1 व 2 से उनका हिस्सा 1/6–1/6 कुल 1/3 दिनांक 04/06/2015 को विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र कय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और तभी से बदस्तूर वहैसियत मालिक काबिज होकर निरन्तर काश्त करती चली आ रही है, जिसे वादीनी अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराने की अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये। वादी की ओर से पी.डब्ल्यू–1 वादीनी भागवती के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम नोनपुरा सम्वत 2071–74 प्रदर्श–1, नकल विकयपत्र दिनांक 04.06.15 की प्रति प्रदर्श–2ए, नकल नामान्तरण नम्बर 593 प्रदर्श–3, नायब तहसीलदार केलवाडा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति प्रदर्श–4, नोटिस धारा 80 सीपीसी की प्रति प्रदर्श–5 तथा डाक रसीद प्रदर्श–6 पेश किये। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई।

वादीनी ने कथन किया है कि ग्राम नोनपुरा स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 10.12 बीघा में से प्रतिवादीकम–1 देवलाल तथा प्रतिवादीकम–2 रामू ने अपने हिस्से की भूमि कमशः 1/6–1/6 कुल 1/3 का रजिस्टर्ड विकय दिनांक 04.06.2015 को वादीनी के हक में कर कब्जा संभलाया है, इस प्रकार विकय तथा कब्जे के आधार पर वादीनी कयशुदा भूमि हिस्सा 1/3 को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। इस सन्दर्भ में वादीनी द्वारा प्रस्तुत विकयपत्र प्रदर्श–2ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीकम–1 देवलाल तथा प्रतिवादीकम–2 रामू ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा कुल 10.12 बीघा में से अपनी कुल हिस्सा आराजी 1/3 का विकय वादीनी के हक में किया है, परन्तु इस विकयपत्र का नामान्तरण दर्ज किये जाने के पूर्व ही विकेता खातेदार रामू की मृत्यु हो जाने से फौती नामान्तरण नम्बर 593 से रामू के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादीकम–2/1 लगायत 2/4 का नाम दर्ज कर दिया गया है, सम्भवतया इसी कारण उक्त विकयपत्र का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया है। जबकि वादीनी के पति द्वारा विकयपत्र की पालना में नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु प्रदर्श–4 प्रार्थनापत्र भी नायब तहसीलदार केलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कय दिनांक से ही वादीनी ने कयशुदा भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है, जिसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से वादीनी के कब्जे काश्त होने सम्बन्धी कथन पर यकीन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण के आधार पर वादीनी विवादित आराजी के हिस्सा 1/3 की वैधानिक हकदार पाई जाती है।

**<u>आदेश</u>**

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीनी को ग्राम नोनपुरा तहसील शाहाबाद की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 10.12 बीघा में प्रतिवादीकम–1 तथा 2/1 लगायत 2/4 के स्थान पर हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है और प्रतिवादीकम–6 तहसीलदार शाहाबाद को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीकम–1 तथा 2/1 लगायत 2/4 के स्थान पर वादीनी का नाम खाता दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner